

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 223/16

अनवान :

1. रामसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. होशियार सिंह पुत्र पतराम जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये जस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार वकील वादीगण श्री लिलाधर अग्रवाल एवं वकील उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभा किया जाता है एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि रहेगी :-

अधिकारी भादरा के समक्ष श्री श्रवण सहारण की वादीगण अंतिम डिक्री सा में निम्नानुसार

1. नन्दलाल पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खात पीसी शाखा गांधीबड़ी के पास : चक 13एएमएस के मु०नं० 51 के कि. 0.253 है० नहरी 0.202 है० रास्ता 0.051 है०, किला नं० 10 की 0.253 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 11 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 12 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 18 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 19 की 0.253 है०, नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 20/1 की 0.171 है० नहरी, किला नं० 22 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 23 की 0.253 है० नहरी मु०नं० 58 के किला नं० 2 की 0.202 है० नहरी 0.164 है० रास्ता 0.038 है०, किला नं० 3 की 0.088 है० नहरी कुल किता 11 रकबा 2.485 है० नहरी 2.296 है० रास्ता 0.189 है०
2. दलीपसिंह पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खातेदार राहिन एसबीआई एडीबी शाखा छानीबड़ी के पास : चक 13एएमएस के मु०नं० 51 के किला नं० 20/2 की 0.082 है० नहरी किला नं० 21 की 0.253 है० नहरी, मु०नं० 52 के किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० रास्ता 0.026 है० खाला 0.025 है० किला नं० 7 की 0.253 है० नहरी 0.216 है० रास्ता 0.037 है० किला नं० 14 की 0.140 है० नहरी 0.139 है०, रास्ता 0.001 है० किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 16 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 25 की 0.253 है० नहरी 0.227 है० खाला 0.026 है० मु०नं० 57 के

KW
श्री (राजस्व)
हनुमानगढ़


किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० खाला 0.051 है० किला नं० 6 की 0.202 है० नहरी 0.177 है० खाला 0.025 है०, मु० नं० 58 के किला नं० 1 की 0.253 नहरी, किला नं० 10 की 0.089 है० नहरी कुल किता 12 रकबा 2.537 है० नहरी 2.296 है० रास्ता 0.064 है० खाला 0.177 है०

3. रामसिंह पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खातेदार राहिन ओबीसी शाखा 6जेजीडब्ल्यू निनाण के पास : चक 13एएमएस के मु० नं० 52 के किला नं० 12 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 19 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 21, 22 की 0.506 है० नहरी, मु० नं० 57 के किला नं० 1 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 2 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 8 की 0.120 है० नहरी, किला नं० 9 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 10 की 0.253 है० नहरी किला नं० 13 की 0.202 है० नहरी, कुल किता 10 रकबा 2.346 है० नहरी 2.296 है० खाला 0.050 है०
4. होशियारसिंह पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खातेदार राहिन ओबीसी शाखा 6जेजीडब्ल्यू निनाण के पास : चक 13एएमएस के मु० नं० 52 के किला नं० 13 की 0.253 है० नहरी 0.241 है० रास्ता 0.012 है०, किला नं० 14 की 0.113 है० नहरी, किला नं० 17, 18 की 0.506 है० नहरी किला नं० 23, 24 की 0.506 है० नहरी मु० नं० 57 के किला नं० 3 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 7 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 8 की 0.133 है० नहरी किला नं० 14 की 0.088 है० नहरी कुल किता 11 रकबा 2.358 है० नहरी 2.296 है० रास्ता 0.012 है०, खाला 0.050 है०

चूंकि वाद भूमि बैंक के रहन है इसलिए बैंक रहन यथावत् रखते हुए उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/11/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजकुमार कश्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 223/16

अनवान :


1. रामसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. होशियार सिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण



दावा बाबत खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री लिलाधर अग्रवाल : वादीगण

वकील श्री श्रवण सहारण : प्रतिवादी सं० 3

निर्णय

दिनांक : ..!././..7.....

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक 13 एएमएस साहुवाला के वर्तमान खाता सं० 42/44 के मु०नं० 51 के किला नं० 9 ता 12 व 18 ता 23 की कुल किता 10 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० जिसमें नहरी 2.3790 है० व गैरमु०रास्ता 0.010 है० मु०नं० 52 के किला नं० 6, 7, 12 ता 25 कुल किता 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० नहरी 3.6430 है० गैरमु०किन रास्ता 0.0510 है० गैरमु०खाला 0.1010 है० तथा मु०नं० 57 के किला नं० 1 ता 10, 13, 14 कुल किता 12 कुल क्षेत्रफल 2.7690 है० नहरी 2.5930 है० गैरमु०किन रास्ता 0.1760 है० व मु०नं० 58 के किला नं० 1 ता 3, 10 कुल किता 4 रकबा 0.6320 है० नहरी 0.5340 है० गैरमु०किन रास्ता 0.0380 है० कुल किता 41 रकबा 9.7260 है० नहरी 9.2090 है० व गैरमु०किन रास्ता 0.2400 है० गैरमु० खाला 0.2770 है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। शामिल खाते की कृषि भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सीव डोल लगान, रास्ता आदि को लेकर तनाजा रहता है। इसलिए पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर अच्छी मंदी के अनुसार खाता लगान अलग से कायम किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने इकबालदावे पेश किये व प्रतिवादी सं० 3 ने जबाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया

राजकुमार कस्वा (राजस्व)
पीठासीन अधिकारी, हनुमानगढ़

कि अनुतोष वादीगण स्वीकार नहीं है क्योंकि वादी ने अपने दावा में वादी व प्रतिवादीगण के पास कौनसी कृषि भूमि कब्जा काश्त में है, का हवाला नहीं दिया है। केवल संयुक्त खाते का पूर्ण विवरण देकर अधूरा दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादी ने मदाखलत पैदा नहीं करने, हक व हिस्से से अधिक भूमि को काश्त नहीं करने, खडे पेड़ों को नहीं काटने आदि की रिलीफ चाही है, लेकिन वादी ने यह कहीं भी अंकन नहीं किया कि हमारे कौनसे मुरबा का कौनसा किला काब्जा काश्त में है एवं सदामत से चला आ रहा है। इस कारण ताफैसला किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार राजस्व भादरा को विभाजन प्रस्ताव मंगलवाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अब तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी सं० 3 होशियारसिंह ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत की। आपत्ति प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने कारण खारिज किया गया।

अतः : मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. नन्दलाल पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खातेदार राहिन ओबीसी शाखा गांधीबड़ी के पास : चक 13एएमएस के मु०नं० 51 के किला नं० 9 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० रास्ता 0.051 है० , किला नं० 10 की 0.253 है०, नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 11 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 12 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 18 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 19 की 0.253 है०, नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 20/1 की 0.171 है० नहरी, किला नं० 22 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० रास्ता 0.025 है० किला नं० 23 की 0.253 है० नहरी मु०नं० 58 के किला नं० 2 की 0.202 है० नहरी 0.164 है० रास्ता 0.038 है०, किला नं० 3 की 0.088 है० नहरी कुल किता 11 रकबा 2.485 है० नहरी 2.296 है० रास्ता 0.189 है०
2. दलीपसिंह पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खातेदार राहिन एसबीआई एडीबी शाखा छानीबड़ी के पास : चक 13एएमएस के मु०नं० 51 के किला नं० 20/2 की 0.082 है० नहरी किला नं० 21 की 0.253 है० नहरी, मु०नं० 52 के किला नं० 6 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० रास्ता 0.026 है० खाला 0.025 है० किला नं० 7 की 0.253 है० नहरी 0.216 है० रास्ता 0.037 है० किला नं० 14 की 0.140 है० नहरी 0.139 है०, रास्ता 0.001 है० किला नं० 15 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 16 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 25 की 0.253 है० नहरी 0.227 है० खाला 0.026 है० मु०नं० 57 के किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० खाला 0.051 है० किला नं० 6 की 0.202 है० नहरी 0.177 है० खाला 0.025 है०, मु०नं० 58 के किला नं० 1 की 0.253 नहरी, किला नं० 10 की 0.089 है० नहरी कुल किता 12 रकबा 2.537 है० नहरी 2.296 है० रास्ता 0.064 है० खाला 0.177 है०
3. रामसिंह पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खातेदार राहिन ओबीसी शाखा 6जेजीडब्ल्यू निनाण के पास : चक 13एएमएस के मु०नं० 52 के किला नं० 12 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 19 की 0.253 है० नहरी , किला नं० 21, 22 की 0.506 है० नहरी, मु०नं० 57 के किला नं० 1 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला सं० 2 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है०

R/W
धिकारी (राजस्व)
जमानगढ़


किला नं० 8 की 0.120 है० नहरी, किला नं० 9 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 10 की 0.253 है० नहरी किला नं० 13 की 0.202 है० नहरी , कुल किला 10 रकबा 2.346 है० नहरी 2.296 है० खाला 0.050 है०

4. होशियारसिंह पुत्र पतराम कौम जाट सा० निनाण खातेदार राहिन ओबीसी शाखा 6जेजीडब्ल्यु निनाण के पास : चक 13एएमएस के मु०नं० 52 के किला नं० 13 की 0.253 है० नहरी 0.241 है० रास्ता 0.012 है०, किला नं० 14 की 0.113 है० नहरी, किला नं० 17, 18 की 0.506 है० नहरी किला नं० 23, 24 की 0.506 है० नहरी मु०नं० 57 के किला नं० 3 की 0.253 है० नहरी 0.228 है०खाला 0.025 है० किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 7 की 0.253 है० नहरी, किला नं० 8 की 0.133 है० नहरी किला नं० 14 की 0.088 है० नहरी कुल किला 11 रकबा 2.358 है० नहरी 2.296 है० रास्ता 0.012 है०, खाला 0.050 है०

चूंकि वाद भूमि बैंक के रहन है इसलिए बैंक रहन यथावत् रखते हुए उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/11/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजकुमार कश्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़